पी.एम. मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना

चर्चा में क्यों?

14 फरवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने पी.एम. मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पी.एम. मित्र) योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना एवं भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही, मंत्रिपरिषद ने योजना में किसी प्रकार के संशोधन के लिये मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रिपरिषद के इस निर्णय के अंतर्गत जनपद हरदोई की सीमा के अंदर का कुछ भाग तथा (ग्राम आटगढ़ी सौरा, ग्राम अटारी, ग्राम रूदानखेड़ा, ग्राम वशिुनपुर, ग्राम जदिना, ग्राम पाराभदराही, ग्राम सालेहनगर, ग्राम शाहमऊ) ग्राम व तहसील मलिहाबाद, जनपद लखनऊ के कुल 72 गाटे रकबा 418.075 हेक्टेयर (1033.082 एकड़) भूमि पर पी.एम. मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पी.एम. मित्र) योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना प्रस्तावित है।
- इस भूमि को चिन्हित करते हुए इसमें से हरदोई जनपद की 259.09 एकड़ तथा लखनऊ 903.07 एकड़ कुल भूमि 1162.16 एकड़ में से 1000 एकड़ भूमि निःशुल्क हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग को हस्तांतरित/अधिग्रहण किया जाएगा।
- इस टेक्सटाइल पार्क के क्रियान्वयन हेतु एक स्पेशल परपज व्हिकिल (एस.पी.वी.) का गठन किया जाएगा। इसके लिये 10 करोड़ रुपये (पेडअप कैपिटल) की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें 51 प्रतिशत अंश उत्तर प्रदेश सरकार तथा 49 प्रतिशत अंश भारत सरकार का होगा।
- स्पेशल परपज व्हिकिल का गठन कंपनी एक्ट-2013 के अंतर्गत होगा। एस.पी.वी. में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) तथा सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली अध्यक्ष (चेयरमैन) होंगे।
- टेक्सटाइल पार्क हेतु एस.पी.वी. का गठन करके संबंधित भूमि एस.पी.वी. को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके उपरांत मास्टर डेवलपर का चयन करके अग्रेतर कार्यवाही कराई जाएगी।
- भारत सरकार के द्वारा दिये गए अन्य दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए पी.पी.पी. मोड पर टेक्सटाइल पार्क को विकसित किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 1200 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/establishment-of-textile-park-under-pm-mega-integrated-textile-sector-and-apparel-scheme